

प्रारंभिक परीक्षा

विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदाय

संदर्भ

समुदाय के नेता विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों (DNT) के लिए एक स्थायी राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की मांग कर रहे हैं।

DNT (विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियाँ) की परिभाषा -

- **विमुक्त जनजातियाँ:** वे समुदाय जिन्हें ब्रिटिश काल के आपराधिक जनजाति अधिनियमों (1871-1947) के तहत "आपराधिक जनजातियों" के रूप में सूचीबद्ध किया गया था और बाद में 1952 में अधिनियमों के निरस्त होने के बाद "विमुक्त" कर दिया गया।
- **घुमंतू जनजातियाँ:** वे सामाजिक समूह जो ऐतिहासिक रूप से आजीविका की रणनीति के रूप में मौसमी या आवधिक प्रवास करते हैं।
- **अर्ध-घुमंतू जनजातियाँ:** वे समुदाय जो पूर्णतः घुमंतू समूहों की तुलना में कम बार और कम दूरी तक यात्रा करते हैं।

भारत में विमुक्त जनजातियों की स्थिति -

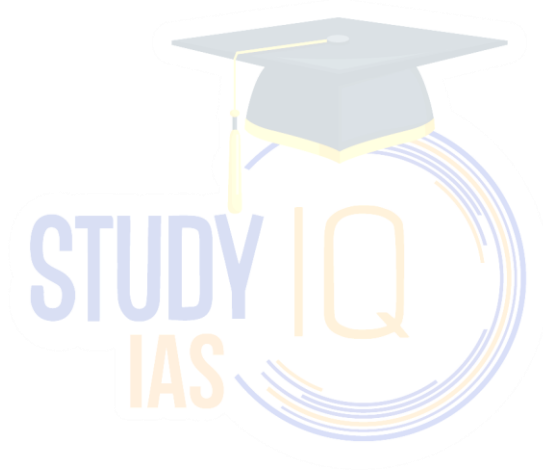
- भारत में 10 करोड़ से अधिक लोग 1,400 से अधिक DNT, घुमंतू या अर्ध-घुमंतू समुदायों से संबंधित हैं।
- ये समूह विभिन्न राज्यों में फैले हुए हैं और इनके सामने अलग-अलग सामाजिक-आर्थिक चुनौतियां हैं।
- दो महत्वपूर्ण आयोग गठित किये गये:
 - **रेन्के आयोग (2008):** DNT समुदायों की पहचान करना और उन्हें सूचीबद्ध करना।
 - **इडेट आयोग (2014):** राज्यवार सूची बनाने और कल्याणकारी उपायों की सिफारिश करने का कार्य सौंपा गया। कार्यकाल: 3 वर्ष।
- कई DNT अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों में आते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मुख्यधारा की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रखा जाता है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा DNT के लिए योजनाएं -

- **DNT के लिए डॉ. अंबेडकर प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति**
 - **प्रारंभ:** 2014-15 (केंद्र प्रायोजित योजना)
 - **लक्ष्य:** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत न आने वाले DNT छात्र
 - **पात्रता:** माता-पिता की आय $\leq$ ₹2 लाख प्रति वर्ष
 - **कार्यान्वयन:** राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से; लागत साझाकरण 75:25 (केन्द्र:राज्य)
 - **छात्रवृत्ति दरें:**
 - प्री-मैट्रिक:
 - कक्षा I-VIII: ₹1000/वर्ष (10 महीने)
 - कक्षा IX-X: ₹1500/वर्ष (10 महीने)
 - पोस्ट-मैट्रिक:
 - छात्रावास: ₹380-₹1000
 - डे स्कॉलर्स: ₹230-₹550
- **विमुक्त जनजातियों के लिए छात्रावास निर्माण की नानाजी देशमुख योजना**
 - **प्रारंभ:** 2014-15 (केंद्र प्रायोजित)
 - **लक्ष्य:** उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे DNT छात्र (एससी/एसटी/ओबीसी नहीं)
 - **पात्रता:** माता-पिता की आय $\leq$ ₹2 लाख प्रति वर्ष

- **कार्यान्वयन:** राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/केंद्रीय विश्वविद्यालयों के माध्यम से
- **समर्थन:** देश भर में प्रति वर्ष 500 छात्रावास सीटें
- **लागत मानदंड:** प्रति सीट ₹3 लाख + फर्नीचर के लिए ₹5,000
- **वित्तपोषण पैटर्न:** 75:25 (केंद्र:राज्य)

स्रोत: [द हिंदू](#)



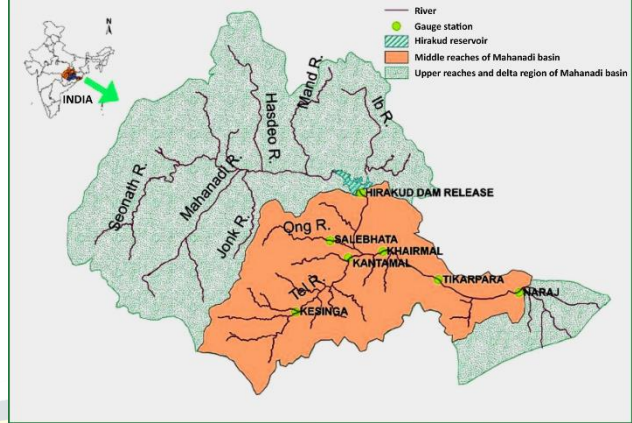
महानदी नदी

संदर्भ

ओडिशा और छत्तीसगढ़ ने महानदी नदी जल विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने की इच्छा दिखाई है, जिसके कारण महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण ने आगे की बातचीत के लिए अपनी सुनवाई स्थगित कर दी है।

महानदी नदी के बारे में -

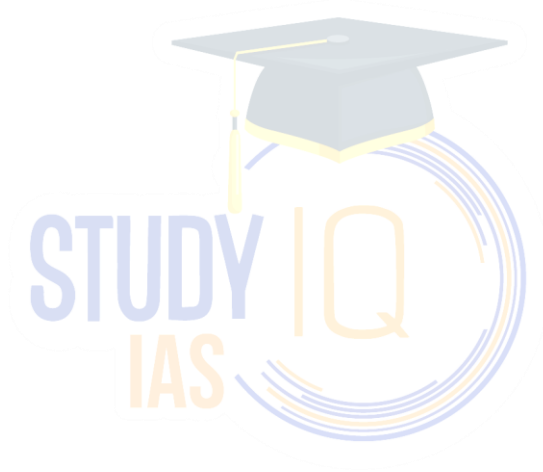
- यह भारत की एक प्रमुख पूर्ववाहिनी (पूर्व की ओर बहने वाली) नदी है।
- जल संसाधन क्षमता के मामले में यह प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी के बाद दूसरे स्थान पर है।
- यह भारत की सबसे सक्रिय गाद (silt) जमा करने वाली नदियों में से एक मानी जाती है।
- मार्ग:
 - इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा पहाड़ियों से होता है।
 - कटक के निकट ओडिशा के मैदानों में प्रवेश करती है तथा पारादीप बंदरगाह के निकट फाल्स प्वाइंट के पास बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है।
- लंबाई: लगभग 860 किमी
- सीमाएँ:
 - उत्तर: मध्य भारतीय पहाड़ियाँ
 - दक्षिण और पूर्व: पूर्वी घाट
 - पश्चिम: मैकाल पर्वत श्रृंखला
- बेसिन क्षेत्र: छत्तीसगढ़, ओडिशा, तथा झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के छोटे भागों में फैला हुआ है।
- प्रमुख सहायक नदियाँ:
 - शिवनाथ
 - जोंक
 - हसदेव
 - मांड
 - इब
 - ओंग
 - टेल



- बेसिन क्षेत्र, जिसे जल निकासी बेसिन या जलविभाजक के रूप में भी जाना जाता है, भूमि का वह क्षेत्र है जहां समस्त सतही जल एक ही बिंदु पर एकत्रित होता है, जैसे नदी का मुहाना या झील।
- संविधान का अनुच्छेद-262(1) संसद को अंतरराज्यीय नदियों या नदी घाटियों के उपयोग, वितरण या नियंत्रण से संबंधित विवादों को हल करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है।
 - इस प्रावधान के आधार पर, संसद ने ऐसे विवादों से निपटने के लिए अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 पारित किया।
 - यह अधिनियम राज्य सरकार को यह अधिकार देता है कि यदि उसे लगता है कि नदी जल विवाद है तो वह केन्द्र सरकार को औपचारिक अनुरोध प्रस्तुत कर सकती है।

- यदि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि विवाद का समाधान बातचीत से नहीं हो सकता तो वह मामले को न्यायाधिकरण के पास निर्णय के लिए भेज सकती है।

स्रोत: [द हिंदू](#)



विष्णुगढ़ जलविद्युत परियोजना

संदर्भ

भारत के उत्तराखंड के चमोली जिले में धौलीगंगा नदी पर स्थित विष्णुगढ़ जलविद्युत परियोजना स्थल पर भूस्खलन होने से 12 मजदूर घायल हो गए।

धौलीगंगा नदी के बारे में -

- **उद्गम:** उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र और दक्षिण-पश्चिमी तिब्बत के बीच सीमा क्षेत्र में नीति दर्रे के पास से निकलती है।
- **महत्वपूर्ण संगम:** रैनी में ऋषि गंगा नदी से मिलती है, यह क्षेत्र पारिस्थितिक संवेदनशीलता के लिए उल्लेखनीय है।
- **अलकनंदा की सहायक नदी:**
 - धौलीगंगा नदी अलकनंदा नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक।
 - अलकनंदा की अन्य प्रमुख सहायक नदियाँ हैं:
 - नंदाकिनी
 - पिंडर
 - मंदाकिनी
 - भागीरथी
- **संगम बिंदु:** धौलीगंगा नदी विष्णुप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है, जो उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक है।
- **लम्बाई:** लगभग 94 किलोमीटर।
- **तपोवन:** तपोवन शहर, जो अपने प्राकृतिक गर्म झरनों के लिए जाना जाता है, धौलीगंगा नदी के तट पर स्थित है।



उत्तराखंड में अन्य प्रमुख जलविद्युत परियोजनाएँ -

- **टिहरी बांध**
 - नदी: भागीरथी
 - स्थान: टिहरी गढ़वाल
- **कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना**
 - नदी: भागीरथी
 - टिहरी बांध के नीचे
- **लता तपोवन एचईपी**
 - नदी: धौलीगंगा
- **मनेरी भाली I और II**
 - नदी: भागीरथी
 - स्थान: उत्तरकाशी

स्रोत: द हिंदू

बाल्फोर घोषणा(Balfour Declaration)

संदर्भ

फिलीस्तीन में यहूदी मातृभूमि का समर्थन करने के 108 वर्ष बाद, ब्रिटेन द्वारा फिलीस्तीन को संभावित मान्यता दिए जाने के कारण बाल्फोर घोषणा पुनः चर्चा में है।

बाल्फोर घोषणा (1917) के बारे में -

- प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी की गई।
- फिलिस्तीन में "यहूदी लोगों के लिए राष्ट्रीय घर" की स्थापना के लिए समर्थन की घोषणा की।
- उस समय फिलिस्तीन ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, जिसमें यहूदी अल्पसंख्यक संख्या बहुत कम थी।

उत्पत्ति -

- यह घोषणा ब्रिटिश विदेश सचिव आर्थर बाल्फोर द्वारा ब्रिटिश यहूदी नेता लॉर्ड रोथ्सचाइल्ड को लिखे गए पत्र के रूप में आई थी।
- आधिकारिक तौर पर 9 नवंबर, 1917 को प्रकाशित।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि -

- प्रथम विश्व युद्ध (1914-1918) के दौरान जारी की गई थी जब ज़ायोनिस्ट आंदोलन जोर पकड़ रहा था।
- ज़ायोनिज़्म का उद्देश्य यूरोप में उत्पीड़न का सामना कर रहे यहूदियों के लिए एक मातृभूमि की स्थापना करना था।

ज़ायोनिस्ट आंदोलन के बारे में -

- यह इस विश्वास पर आधारित था कि यहूदियों को उत्पीड़न से बचने के लिए अपने स्वयं के संप्रभु राष्ट्र की आवश्यकता है।
- ज़ायोनिज़्म के जनक माने जाने वाले थियोडोर हर्ज़ल ने 1896 में अपनी रचना "डेर जुडेनस्टाट" में इस विचार का प्रस्ताव रखा था।
- चैम वीज़मैन (जो बाद में इज़राइल के पहले राष्ट्रपति बने) और नहूम सोकोलोव जैसे प्रमुख ज़ायोनिस्ट नेताओं ने ब्रिटेन से समर्थन की पैरवी की।

ब्रिटेन ने इस विचार का समर्थन क्यों किया?

- **सामरिक हित:** स्वेज नहर और ब्रिटिश भारत के मार्ग की सुरक्षा के लिए फिलिस्तीन का स्थान महत्वपूर्ण था।
- **राजनीतिक गणना:** मित्र देशों के युद्ध प्रयासों को मजबूत करने के लिए रूस और अमेरिका में यहूदी समुदायों का समर्थन जीतने की आशा।
- यहूदियों के उत्पीड़न के प्रति सहानुभूति ने भी इसमें भूमिका निभाई।

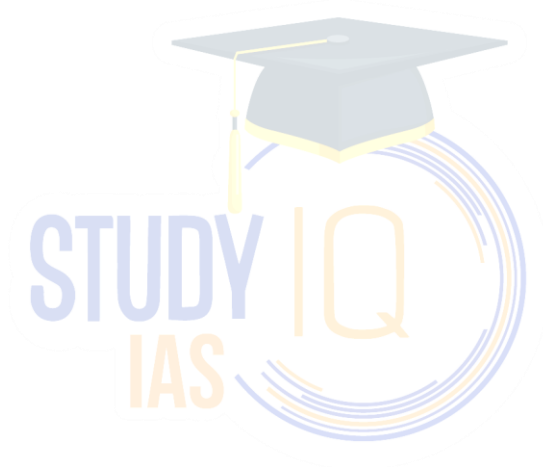
बाल्फोर घोषणा विवादास्पद क्यों है?

- ब्रिटेन ने ऐसी ज़मीन देने का वादा किया जिस पर उसका नियंत्रण नहीं था – फिलिस्तीन ओटोमन शासन के अधीन था।



- मैकमोहन-हुसैन पत्राचार (1915-1916) में अरबों से किए गए पिछले ब्रिटिश वादों का खंडन किया गया, जिसमें ओटोमन शासन के विरुद्ध समर्थन के बदले अरबों को स्वतंत्रता देने का वादा किया गया था।
- इसने गैर-यहूदियों के "नागरिक और धार्मिक अधिकारों" को मान्यता दी, लेकिन उनके राजनीतिक अधिकारों की अनदेखी की।
- घोषणा जारी करने से पहले किसी फ़िलिस्तीनी या अरब नेता से परामर्श नहीं किया गया।
- इसे इस क्षेत्र में एक लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष की शुरुआत के रूप में देखा गया।

स्रोत: [द हिंदू](#)



एक्ट ईस्ट नीति(Act East Policy)

संदर्भ

भारतीय रेलवे ने मिज़ोरम की राजधानी आइज़ोल के पास सैरांग तक नई 51.38 किमी लंबी रेल लाइन को चालू कर दिया है। यह कदम क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देता है और एक्ट ईस्ट नीति को सुदृढ़ करता है, भले ही क्षेत्रीय अस्थिरता के कारण सीमा-पार परियोजनाओं में देरी हो रही हो।

एक्ट ईस्ट नीति -

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2014 में शुरू की गई, जिसने पुरानी लुक ईस्ट नीति को प्रतिस्थापित किया।
- दक्षिण-पूर्व एशिया और हिंद-प्रशांत देशों के साथ आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- इसका लक्ष्य भारत के दृष्टिकोण को निष्क्रिय अवलोकन ("देखो") से सक्रिय क्षेत्रीय भागीदारी ("कार्य करो") में परिवर्तित करना है।

एक्ट ईस्ट नीति के उद्देश्य -

- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में व्यापार, निवेश और बाजार पहुंच बढ़ाकर आर्थिक भागीदारी को बढ़ाना।
- शैक्षिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से सांस्कृतिक समझ और लोगों के बीच संबंधों को गहरा करना।
- द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और क्षेत्रीय वार्ता के माध्यम से दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण करना।
- राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण को बढ़ावा देना।
- आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा और आपदा प्रबंधन जैसी साझा चुनौतियों पर सहयोग करना।

एक्ट ईस्ट नीति के तीन स्तंभ -

1. **आर्थिक स्तंभ:**
 - वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण
 - पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना
2. **सामाजिक-सांस्कृतिक स्तंभ:**
 - आपसी समझ को बढ़ावा देना
 - साझा सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों को बढ़ावा देना
3. **राजनीतिक-सुरक्षा स्तंभ:**
 - रक्षा सहयोग बढ़ाना
 - क्षेत्रीय स्थिरता और शक्ति संतुलन को बढ़ावा देना

प्रमुख विशेषताएँ -

- **आसियान-केन्द्रित दृष्टिकोण:** आसियान के साथ घनिष्ठ समन्वय तथा एआरएफ, ईएएस और एडीएमएम+ में भागीदारी।
- **4C फ्रेमवर्क:** संस्कृति (Culture), वाणिज्य (Commerce), संपर्क (Connectivity) और क्षमता निर्माण (Capacity Building) पर केंद्रित।
- **सामरिक सुरक्षा संबंध:** जापान, वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों के साथ साझेदारी।
- **कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे पर ध्यान:** सीमा पार राजमार्ग, रेल संपर्क और डिजिटल प्लेटफॉर्म।
- **बहुपक्षीय सहभागिता:** क्षेत्रीय सहयोग के लिए आसियान, बिस्मटेक और ईएएस में सक्रिय भागीदारी।

एक्ट ईस्ट नीति के अंतर्गत प्रमुख परियोजनाएँ -

- **भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग** - सड़क संपर्क को बढ़ावा देगा।

- **कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट परियोजना** - भारत के पूर्वी बंदरगाहों को म्यांमार के सित्तवे बंदरगाह से जोड़ती है।
- **अगरतला-अखौरा रेल लिंक** - पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश के बीच संपर्क को बढ़ाता है।
- **डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI)** - भारत-आसियान कोष के माध्यम से डिजिटल संबंधों को आगे बढ़ाना।
- **मेकांग-भारत आर्थिक गलियारा** - भारत के पूर्वी तट को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ता है।
- **आईटीईसी कार्यक्रम** - कंबोडिया, लाओस, वियतनाम आदि के लिए क्षमता निर्माण।
- **अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ (IBC)** - साझा बौद्ध विरासत को बढ़ावा देता है।
- **बिम्स्टेक पहल** - बंगाल की खाड़ी के आसपास क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करती है।

लुक ईस्ट नीति बनाम एक्ट ईस्ट नीति

पहलू	लुक ईस्ट नीति नीति (1991)	एक्ट ईस्ट पॉलिसी (2014)
द्वारा आरंभ किया गया	प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव	प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
फोकस	आर्थिक और सामरिक संबंध	आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंध
भौगोलिक गुंजाइश	दक्षिण पूर्व एशिया	दक्षिण पूर्व एशिया + हिंद-प्रशांत
मुख्य लक्ष्य	व्यापारिक संबंध बनाना	क्षेत्रीय प्रभाव को मजबूत करना
सुरक्षा फोकस	सीमित	रक्षा एवं सुरक्षा पर विशेष ध्यान
आधारभूत संरचना परियोजनाएँ	न्यूनतम	प्रमुख सीमा पार कनेक्टिविटी परियोजनाएँ
दृष्टिकोण	राजनयिक और व्यापार-आधारित	व्यापक और मुखर

स्रोत: [द हिंदू](#)

जापान सागर(Sea of Japan)

संदर्भ

चीन और रूस ने जापान सागर में तीन दिवसीय संयुक्त नौसैनिक अभ्यास "Joint Sea-2025" की शुरुआत की है।

जापान सागर (जिसे पूर्वी सागर भी कहा जाता है) के बारे में -

- यह प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग का एक सीमांत सागर (Marginal Sea) है।
- सीमाएँ:
 - पूर्व: जापान और सखालिन (रूस)
 - पश्चिम: मुख्यभूमि रूस, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया
- प्रमुख जलडमरूमध्य:
 - दक्षिण: त्सुशिमा और कोरिया जलडमरूमध्य होते हुए पूर्वी चीन सागर
 - उत्तर: ला पेरोस और तातार जलडमरूमध्य होते हुए ओखोटस्क सागर
 - पूर्व:
 - कानमोन जलडमरूमध्य के माध्यम से जापान का अंतर्देशीय सागर
 - त्सुगारू जलडमरूमध्य के माध्यम से प्रशांत महासागर



स्रोत: [द हिंदू](#)

ओक्साका क्षेत्र(Oaxaca region)

संदर्भ

मेक्सिको के ओक्साका क्षेत्र में 5.7 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे मेक्सिको सिटी में झटके महसूस किये गये, लेकिन किसी बड़ी क्षति या चोट की खबर नहीं है।

मेक्सिको का ओक्साका क्षेत्र -

- **स्थान:** ओक्साका मेक्सिको का एक दक्षिणी राज्य है, जिसकी सीमा दक्षिण में प्रशांत महासागर और पुएब्ला, वेराक्रूज़, चियापास और गुएरेरो राज्यों से लगती है।
- **राजधानी:** इसकी राजधानी ओक्साका डे जुआरेज़ है।
- **भूगोल:** यह ऊबड़-खाबड़ भूभाग वाला एक पहाड़ी क्षेत्र है, जो सिएरा माद्रे डेल सुर पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है।
- **स्वदेशी जनसंख्या:** ओक्साका में मेक्सिको की सबसे बड़ी स्वदेशी आबादी है, जिसमें जैपोटेक और मिक्सटेक शामिल हैं।
- **संस्कृति:** अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक शिल्प, वस्त्र, भोजन (जैसे तिल) और गुएलागुएटज़ा जैसे रंगीन त्योहारों के लिए जाना जाता है।
- **पुरातत्व:** मोटे अल्बान और मिट्ला जैसे प्राचीन स्थलों का घर, जो जैपोटेक और मिक्सटेक सभ्यताओं के प्रमुख केंद्र हैं।
- **जैव विविधता:** मेक्सिको में सबसे अधिक जैविक विविधता वाले राज्यों में से एक, जिसमें समुद्र तटों से लेकर पहाड़ों तक विविध पारिस्थितिकी तंत्र हैं।
- **भूकंपीय गतिविधि:** कोकोस और उत्तरी अमेरिकी टेक्टोनिक प्लेटों के निकट स्थित होने के कारण यह भूकंप-प्रवण क्षेत्र में स्थित है।
- **पर्यटन:** अपनी औपनिवेशिक वास्तुकला, प्यूर्तो एस्कोन्डिडो जैसे समुद्र तटों और पारिस्थितिकी पर्यटन के लिए लोकप्रिय।
- **अर्थव्यवस्था:** कृषि, पर्यटन, हस्तशिल्प और लघु उद्योग पर आधारित।

स्रोत: [इंडियनएक्सप्रेस](#)



लोक अदालतें

संदर्भ

बैंकिंग विवादों, एनबीएफसी वसूली मामलों और गैस आपूर्ति संबंधी मुद्दों को तीव्र एवं लागत प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के लिए लोक अदालतों के दायरे में लाया गया है।

लोक अदालत क्या है?

- **प्राचीन भारत में उत्पत्ति:** यह अवधारणा ग्राम पंचायतों से प्रेरित है जो अनौपचारिक रूप से विवादों का निपटारा करती थीं।
- **वैधानिक समर्थन:** विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया।
- **उद्देश्य:** विशेष रूप से आर्थिक या भौगोलिक रूप से वंचित लोगों के लिए किफायती, सुलभ और त्वरित न्याय सुनिश्चित करना।

कानूनी प्रावधान -

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अनुसार:

- **धारा 19:** विभिन्न स्तरों पर लोक अदालतें स्थापित करता है - राज्य, उच्च न्यायालय, जिला और तालुका।
- **धारा 20:** वर्णन करता है कि कौन से मामले लोक अदालत को भेजे जा सकते हैं:
 - न्यायालय में लंबित है।
 - मुकदमे-पूर्व चरण में।
- **धारा 21:**
 - निर्णय सिविल न्यायालय का निर्णय माना जाता है।
 - यह अंतिम, बाध्यकारी और प्रवर्तनीय है; इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती।
- **धारा 22:** लोक अदालतों को सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के तहत सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त हैं, जिनमें शामिल हैं:
 - गवाहों को बुलाना
 - साक्ष्य प्राप्त करना
 - सार्वजनिक अभिलेखों की मांग

नवीनतम विकास (2024-2025) -

- **लोक अदालतें अब निम्नलिखित मुद्दों पर ध्यान दे रही हैं:**
 - बैंकिंग विवाद और एनबीएफसी ऋण वसूली
 - गैस आपूर्ति संबंधी समस्याएं
 - यातायात चालान, बिजली बिल, बीमा दावे आदि।
- डिजिटल लोक अदालतों का उपयोग पहुंच बढ़ाने और बैकलॉग को कम करने के लिए तेजी से किया जा रहा है।
- कुछ राज्यों (जैसे, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान) में एआई-आधारित ई-लोक अदालतें संचालित की गईं।

प्रमुख विशेषताएँ -

- **स्वैच्छिक:** पक्षों को मामले को निपटाने के लिए सहमत होना होगा।
- **कोई न्यायालय शुल्क नहीं:** यदि मामला निपट जाता है तो भुगतान किया गया कोई भी न्यायालय शुल्क वापस कर दिया जाएगा।
- **शीघ्र निपटान:** एक ही बैठक में मामलों का निपटारा।
- **गैर-प्रतिस्पर्धी (Non-Adversarial):** ध्यान समझौता और सामंजस्य पर है, न कि जीत/हार पर।

लोक अदालत के प्रकार -

- **स्थायी लोक अदालत (PLA)**
 - सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं (परिवहन, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, आदि) के लिए।
 - यदि कोई समझौता नहीं हो पाता है तो बाध्यकारी निर्णय दे सकते हैं (आपराधिक मामलों को छोड़कर)।
- **राष्ट्रीय लोक अदालत**
 - पूरे देश में एक ही दिन पर, सभी न्यायालय स्तरों पर आयोजित की जाती है।
 - उद्देश्य: लंबित और पूर्व-विवाद स्तर के मामलों का निपटारा, विशेष रूप से दीवानी, चेक बाउंस और मुआवजा संबंधित मामलों पर ध्यान केंद्रित।
- **राज्य लोक अदालत**
 - राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA) द्वारा संचालित।
 - उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों से संदर्भित मामलों का निपटारा करना।
- **जिला लोक अदालत**
 - जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) द्वारा प्रबंधित।
 - पारिवारिक विवादों, सिविल मामलों और छोटे अपराधों के लिए सामान्य।
- **तालुक लोक अदालत**
 - उप-जिला स्तर (तहसील या तालुक) पर आयोजित किया जाता है।
 - ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों में न्याय तक पहुंच प्रदान करता है।
- **मोबाइल लोक अदालत**
 - कमज़ोर या दूरदराज़ क्षेत्रों में जाकर विवादों का निपटारा करती है।
 - सामान्यतः भूमि, श्रम और पारिवारिक मामलों को सुलझाने में सक्रिय रहती है।
- **मेगा लोक अदालत**
 - एक राज्य के अनेक न्यायालयों में एक साथ आयोजित की जाती है।
 - उद्देश्य: एक ही दिन में अधिकाधिक मामलों का निपटारा करना।

स्रोत: [द हिंदू](#)

समाचार संक्षेप में

नांगरणी स्पर्धा

खबर? भारी बारिश और रेड अलर्ट के बावजूद, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में पारंपरिक नांगरणी स्पर्धा के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे।

इसके बारे में -

- यह सदियों पुरानी पारंपरिक बैलों की दौड़ है।
- **स्थान:** रत्नागिरी (महाराष्ट्र)
- यह वर्षा ऋतु में आयोजित की जाती है।
- **भारत में समान परंपराएँ:**
 - केरल में मरमाडी
 - कर्नाटक में कंबाला

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में रहे अन्य समाचार

1	क्रशेनिकोव ज्वालामुखी 500 से अधिक वर्षों के बाद फटा। • यह रूस के कामचटका क्षेत्र में स्थित है।
2	120 से अधिक अग्निशमन कर्मी सोची (रूस) में एक तेल डिपो में लगी आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, जो यूक्रेनी ड्रोन हमले के कारण लगी थी।
3	12वीं-13वीं शताब्दी के बीच खमेर साम्राज्य में थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और म्यांमार के कुछ हिस्से शामिल थे।
4	प्रधानमंत्री मोदी ने पिंगली वेंकैया को उनकी जयंती (4 अगस्त) पर श्रद्धांजलि दी। • उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के पहले प्रारूप (प्रोटोटाइप) का डिज़ाइन तैयार किया था। • वर्ष 1921 में बेज़वाड़ा (वर्तमान विजयवाड़ा) में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने दो रंगों (लाल और हरे) वाला ध्वज प्रस्तुत किया, जो दो प्रमुख समुदायों का प्रतिनिधित्व करता था। • बाद में महात्मा गांधी ने इसमें श्वेत पट्टी (अन्य समुदायों के प्रतीक रूप में) और चरखा (स्वावलंबन और स्वदेशी का प्रतीक) जोड़ने का सुझाव दिया।
5	केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने 'मातृ वन' पहल का शुभारंभ किया। • यह एक प्रकृति से प्रेरित हरित प्रयासों के माध्यम से पीढ़ियों के पोषण के लिए समर्पित थीम आधारित शहरी वन - अरावली पहाड़ी क्षेत्र में 750 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा।

संपादकीय सारांश

CETA के अध्याय 13 (बौद्धिक संपदा) के अंतर्गत भारत की प्रतिबद्धताओं से संबंधित चिंताएँ

संदर्भ

भारत-यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA) के बौद्धिक संपदा अध्याय-13 (Chapter 13), विशेष रूप से अनुच्छेद 13.6 (Article 13.6), में भारत की प्रतिबद्धताओं को लेकर कई प्रश्न उठते हैं।

CETA का अनुच्छेद 13.6

“दोनों पक्ष यह मानते हैं कि दवाओं तक पहुंच को बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने का सबसे उपयुक्त और आदर्श मार्ग **स्वैच्छिक तंत्रों**, जैसे कि **स्वैच्छिक लाइसेंसिंग**, के माध्यम से है।”

यह समस्याग्रस्त क्यों है?

यह प्रावधान:

- **स्वैच्छिक लाइसेंसिंग (VL)** को “पसंदीदा” मार्ग के रूप में बढ़ावा देता है।
- **अनिवार्य लाइसेंसिंग (CL)** को दरकिनार कर दिया गया है - एक कानूनी ट्रिप्स-अनुपालन उपाय जिसका उपयोग भारत ने ऐतिहासिक रूप से सस्ती दवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किया है।

स्वैच्छिक लाइसेंसिंग क्या है?

- स्वैच्छिक लाइसेंसिंग तब होती है जब पेटेंट धारक (आमतौर पर एक दवा कंपनी) स्वेच्छा से किसी अन्य कंपनी को पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर पेटेंट उत्पाद (आमतौर पर एक दवा) का निर्माण और बिक्री करने की अनुमति देता है। इन लाइसेंसों में शामिल हो सकते हैं:
 - मूल्य, आपूर्ति या क्षेत्रों पर शर्तें
 - प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (वैकल्पिक और अक्सर सीमित)
 - उप-लाइसेंसिंग या सामग्री के स्रोत पर प्रतिबंध
- **उदाहरण:** सिप्ला ने गिलियड साइंसेज से स्वैच्छिक लाइसेंस के तहत COVID-19 के दौरान रेमडेसिविर का उत्पादन किया।

अनिवार्य लाइसेंसिंग क्या है?

- अनिवार्य लाइसेंसिंग तब होती है जब सरकार किसी कंपनी को विशिष्ट जनहित शर्तों के तहत पेटेंट धारक की सहमति के बिना पेटेंट उत्पाद का उत्पादन करने की अनुमति देती है।
- भारतीय पेटेंट अधिनियम (ट्रिप्स-अनुपालन) के तहत, अनिवार्य लाइसेंस प्रदान किया जा सकता है यदि:
 - पेटेंट उत्पाद उचित मूल्य पर उपलब्ध नहीं है
 - जनता की उचित आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं
 - पेटेंट का भारत में “कार्य” (अर्थात्, व्यावसायिक रूप से उपयोग) नहीं किया गया है
- **उदाहरण:** 2012 में, **नैटको फार्मा को बायर की कैंसर दवा सोराफेनीब** का उत्पादन करने के लिए अनिवार्य लाइसेंस मिला, जिससे मासिक लागत ₹2.8 लाख से घटकर ₹9,000 से कम हो गई।

CETA के अनुच्छेद 13.6 से संबंधित चिंताएँ -

- **अनिवार्य लाइसेंसिंग (CL) पर स्थिति:** भारत विश्व व्यापार संगठन में CL का एक मजबूत समर्थक था, जिसे **ट्रिप्स और सार्वजनिक स्वास्थ्य (2001)** पर **दोहा घोषणा** द्वारा समर्थित किया गया था।
 - अनिवार्य लाइसेंसिंग सरकारों को जनहित में किफायती दवाइयाँ बनाने के लिए पेटेंट प्रतिबंधों को दरकिनार करने की अनुमति देता है (**उदाहरण के लिए, 2012 में सोराफेनीब के लिए**

नैटको फार्मा के अनिवार्य लाइसेंसिंग (CL) ने कैसर की दवाओं की कीमतों में 97% की कमी ला दी।

- CETA की शब्दावली अप्रत्यक्ष रूप से CL को अवैध ठहराती है, तथा भारत को उसके मूल रुख से दूर धकेलती है।
- **अनुकूल शर्तों पर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की मांग:** भारत लंबे समय से औद्योगीकरण और जलवायु कार्रवाई (जैसे, कार्बन-तटस्थ प्रौद्योगिकियां) के लिए न्यायसंगत तकनीकी हस्तांतरण (नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था (एनआईओ), 1974 के बाद से) की मांग करता रहा है।
 - CETA केवल "पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों" के तहत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देता है, जो आम तौर पर पेटेंट धारकों के पक्ष में होता है।
 - इससे जलवायु मंचों और बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं में भारत की बातचीत की क्षमता कमजोर हो जाती है।
- **पहले की रियायतों को और मजबूत करता है:** भारत ने पहले ही EFTA (मुक्त व्यापार समझौते) में "कार्यकारी" आवश्यकता को कमजोर कर दिया है, पेटेंट कार्य संबंधी घोषणाओं को हर तीन साल में (वार्षिक रूप से नहीं) अनुमति देकर। CETA इस कमजोरी को और मजबूत करता है।

रणनीतिक निहितार्थ -

- **घरेलू:**
 - सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, विशेषकर जीवन रक्षक दवाओं तक पहुंच पर खतरा उत्पन्न हो सकता है।
 - पेटेंट अधिनियम को ट्रिप्स (जेपीसी समीक्षा के बाद) के साथ संरेखित करते समय संसद की मूल मंशा को कमजोर करता है।
- **वैश्विक:**
 - भारत को बौद्धिक संपदा लचीलेपन के मामले में विकासशील देशों के बीच अपनी अग्रणी भूमिका खोने का खतरा है।
 - यूएनएफसीसीसीसी जैसे मंचों पर इसकी जलवायु प्रौद्योगिकी वार्ता शक्ति कमजोर हो गई है।

निष्कर्ष -

- CETA में अनुच्छेद 13.6 को स्वीकार करना भारत का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक रूप से पीछे हटने का संकेत है जैसे:
 - सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा के रूप में अनिवार्य लाइसेंसिंग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से।
 - विकास और जलवायु लक्ष्यों के लिए निष्पक्ष प्रौद्योगिकी पहुंच की अपनी दीर्घकालिक मांग से।
- यह बदलाव घरेलू नीति स्वायत्तता को नष्ट कर सकता है तथा भविष्य में बौद्धिक संपदा एवं जलवायु वार्ताओं में भारत की वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर सकता है।

स्रोत: [द हिंदू](#)

जुगाड़, न्याय और नौकरियां

संदर्भ

- **मई 2025 में, भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक मरम्मत सूचकांक (Repairability Index) पेश किया और औपचारिक पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करने के लिए ई-कचरा नियमों में सुधार किया।**
 - फिर भी, वे प्रणालियाँ जो चुपचाप रोजमर्रा की जिंदगी को बनाए रखती हैं - विशेष रूप से अनौपचारिक मरम्मत और रखरखाव अर्थव्यवस्था - डिजिटल और नीतिगत ढांचे में काफी हद तक अदृश्य रहती हैं।

भारत में मरम्मत अर्थव्यवस्था का महत्व -

- **चक्रीय अर्थव्यवस्था का समर्थन:** मरम्मतकर्ता उत्पाद जीवन चक्र को बढ़ाने, ई-कचरे को कम करने और निपटान की बजाय पुनः उपयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- **पर्यावरणीय स्थिरता:** सामग्री निष्कर्षण, प्रदूषण और कार्बन पदचिह्न को कम करके एसडीजी 12 (जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन) और मिशन लाइफ के साथ संरेखित करता है।
- **रोजगार और आजीविका:** हजारों लोगों को अनौपचारिक रोजगार प्रदान करता है, विशेष रूप से करोल बाग (दिल्ली) और रिची स्ट्रीट (चेन्नई) जैसे शहरी केंद्रों में।
- **मौन ज्ञान का संरक्षण:** मरम्मत कार्य में सहज, व्यावहारिक ज्ञान निहित होता है जो पीढ़ियों से अवलोकन के माध्यम से प्राप्त होता है, न कि औपचारिक प्रशिक्षण।
- **प्रौद्योगिकी तक सस्ती पहुंच:** मरम्मतकर्ता महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स को लंबे समय तक उपयोग योग्य बनाते हैं, जिससे निम्न आय वर्ग की आबादी के लिए डिजिटल पहुंच सुनिश्चित होती है।
- **सामग्री लचीलेपन में योगदान:** स्थानीय पुनः उपयोग और सुधार को बढ़ावा देकर नियोजित अप्रचलन और आपूर्ति-श्रृंखला बाधाओं के खिलाफ लचीलापन सक्षम बनाता है।

मरम्मत अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दे -

- **स्थायित्व और निपटान:** उत्पाद डिजाइन कम मरम्मत योग्य होते जा रहे हैं (उदाहरण के लिए, एशिया में केवल 23% स्मार्टफोन ही मरम्मत योग्य हैं)।
 - उपभोक्ता की आदतें निपटान की ओर स्थानांतरित हो रही हैं।
- **नीति और नियामक उपेक्षा:** ई-कचरा नियम 2022 और पीएमकेवीवाई के तहत कौशल योजनाओं में पुनर्चक्रण का उल्लेख तो किया गया है, लेकिन मुख्य रणनीति के रूप में मरम्मत का नहीं।
 - ई-श्रम जैसी औपचारिक क्षेत्र की योजनाओं में कानूनी मान्यता या समावेशन का अभाव।
- **कौशल और पारिस्थितिकी तंत्र का क्षरण:** संरचित प्रशिक्षुता या प्रोत्साहन के अभाव के कारण युवाओं में सीखने की इच्छा कम होती है।
- **दस्तावेजीकरण और प्रमाणन का अभाव:** मौन कौशल को संहिताबद्ध या औपचारिक रूप से प्रमाणित नहीं किया जाता है, जिससे मान्यता और मापनीयता सीमित हो जाती है।
- **बाजार बहिष्कारण:** अनौपचारिक मरम्मत करने वालों के पास स्पेयर पार्ट्स, मैनुअल या डायग्नोस्टिक तक बहुत कम पहुंच होती है प्रतिबंधात्मक कंपनी नीतियों के कारण उपकरण।
- **कौशल विकास में डिजिटल विभाजन:** राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ावा देती है, लेकिन इसमें मरम्मत जैसे पारंपरिक कौशल क्षेत्रों को समर्थन देने के लिए स्पष्ट रूपरेखा का अभाव है।

मरम्मत अर्थव्यवस्था पर एआई और डिजिटल प्रौद्योगिकियों का प्रभाव -

नकारात्मक प्रभाव:

- **डिजाइन केंद्रीकरण:** एआई-संचालित डिजाइन मरम्मत के लिए नहीं, बल्कि प्रदर्शन और कॉम्पैक्टनेस के लिए अनुकूलित होते हैं।
 - स्वामित्व सॉफ्टवेयर लॉक स्थानीय निदान या मरम्मत हस्तक्षेप को कम करते हैं।

- **विस्थापन जोखिम:** एआई समस्या निवारण को स्वचालित कर सकता है, लेकिन अनौपचारिक मरम्मतकर्ताओं को एकीकृत किए बिना, लाभ उनके लिए दुर्गम रहेंगे।
- **मान्यता के बिना ज्ञान निष्कर्षण:** एआई प्रणालियां मरम्मत पैटर्न या उपयोगकर्ता डेटा से सीख सकती हैं, लेकिन ऐसी मौन अंतर्दृष्टि के पीछे मानव योगदानकर्ताओं को मान्यता नहीं दी जाती है।

सकारात्मक संभावनाएं (यदि समावेशी रूप से कार्यान्वित की जाएं) -

- **मौन ज्ञान का दस्तावेजीकरण:** बड़े भाषा मॉडल (एलएलएम) मौखिक सुधार कहानियों को संरचित मार्गदर्शिकाओं में संहिताबद्ध कर सकते हैं।
- **निर्णय वृक्ष और मरम्मत पथ:** एआई सामान्य मरम्मत कार्यप्रवाहों का मानचित्रण और प्रसार कर सकता है, जिससे सामुदायिक शिक्षण और अंतर-संचालनशीलता में वृद्धि होती है।
- **डिजिटल रूप से सक्षम पहचान:** ई-श्रम जैसे प्लेटफॉर्मों के साथ एकीकरण से पहचान को औपचारिक बनाया जा सकता है, लाभों तक पहुंच बनाई जा सकती है और मरम्मत करने वालों को डिजिटल कौशल प्लेटफॉर्मों से जोड़ा जा सकता है।

निष्कर्ष -

- भारत की मितव्ययिता और तात्कालिकता की परंपराएं, उसकी एआई महत्वाकांक्षाओं से बहुत पहले से चली आ रही हैं।
- मरम्मत करने वालों को ज्ञान कार्यकर्ता के रूप में मान्यता देना - हाशिए पर पड़े लोगों के रूप में नहीं - समावेशी स्थिरता की कुंजी है।
- समन्वित कार्रवाई के साथ, भारत एआई, जलवायु और डिजिटल नीति के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था लक्ष्यों को संरेखित करने में वैश्विक स्तर पर नेतृत्व कर सकता है - जो जमीनी स्तर पर नवाचार पर आधारित है।

स्रोत: [द हिंदू](#)

